आदेश और अधिसूचनाएं

1.2 दिनांक 20.11.2002 को अधिसूचित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2002

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने के लिए दिशानिर्देश

फा.सं.पी-20012/5/99-पीपी - भारत सरकार पेट्रोलियम उत्पाद लाइनों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जनहित में जारी करती है। ये दिशानिर्देश सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

पाइपलाइनों का वर्गीकरण

1. पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

(i) रिफाइनरियां, चाहे तटीय हों या अंतर्देशीय, से मूल रूप से निकलने वाली पाइपलाइनों की रिफाइनरी से लगभग 300 किलोमीटर तक की दूरी।

(ii) किसी विशिष्ट उपभोक्ता के लिए उत्पाद की आपूर्ति करने हेतु समर्पित पाइपलाइन, जो मूल रूप से रिफाइनरी से या तेल कंपनी के टर्मिनल से निकल रही हो; और

(iii) रिफाइनरी से 300 कि.मी. लम्बी पाइपाइन तथा बंदरगाहों से निकलने वाली पाइपलाइनें, जो उपर्युक्त (i) और (ii) से विनिर्दिष्ट पाइपलाइनें हों।

मालिकाना और पहुंच

2. खण्ड 1 के उप-खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पाइपलाइनों के लिए पेट्रोलियम/पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के अंतर्गत पाइपलाइनें बिछाने हेतु भूमि में प्रयोक्ता अधिकार (आरओयू) कैप्टिव पाइपलाइनों अर्थात् प्रस्तावक कंपनी द्वारा विशिष्ट प्रयोग के लिए ऐसी पाइपलाइनों को मानने वाली आवेदक कंपनी के पक्ष में प्रदान किया जाएगा।

3. खण्ड-I को उप-खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पाइपलाइनों के लिए पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 में पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में आरओयू प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा:

3.1 सामान्य उपयोग उत्पाद पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव किसी एक इच्छुक पार्टी या संयुक्त उद्यम (इसके बाद से प्रस्तावकर्ता के रूप में उल्लेख किया जाएगा) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्रस्ताव के इच्छुक किसी व्यक्ति से तीन माह की अवधि के अंदर रुचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करने के प्रस्ताव को प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार से कार्य करेगा जैसाकि मंत्रालय निर्णय ले। यदि कोई कंपनी पाइपलाइन में किसी क्षमता को लेने में रुचि रखती हो तो वह अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है और प्रस्तावकर्ता के साथ "लो या भुगतान करो" या अन्य कोई परस्पर स्वीकार्य संविदा पर हस्ताक्षर कर सकता है। प्रस्तावकर्ता द्वारा पाइपलाइन के आकार और डिजाइन को ऐसे सभी अनुरोधों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.3 यदि प्रस्ताव को प्रकाशित करने की तीन माह की अवधि में किसी उद्योग कंपनी से कोई रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावकर्ता को परियोजना में कार्य शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।

3.4 डिज़ाइन की गई पाइपलाइन क्षमता खण्ड 3.2 के अंतर्गत क्षमता स्वीकार करने वाले प्रस्तावकर्ता की क्षमता आवश्यकता से कम से कम 25% अधिक होगी, जैसाकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाए।

3.5 पाइपलाइन का मालिक प्रस्तावकर्ता होगा या जैसाकि प्रस्तावकर्ता द्वारा निर्णय लिया जाएगा, चाहे अन्य उद्योग कंपनी (कंपनियां) पाइपलाइन क्षमता प्राप्त करें अथवा नहीं।

3.6 खण्ड 3.4 में उल्लिखित अतिरिक्त क्षमता, मालिक को छोड़कर अन्य किसी के द्वारा प्रयोग हेतु उपलब्ध होगी, और "सामान्य वाहक" आधार पर खण्ड 4 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित शुल्क पर होगी अर्थात् क्षमता किसी भी इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी जो शुल्क का भुगतान करने का प्रस्ताव करे। यदि ऐसी मांग इस अतिरिक्त क्षमता से बढ़ती है तो अतिरिक्त क्षमता का आबंटन मालिक के अलावा रुचि रखने वाले प्रयोक्ताओं तथा खण्ड 3.2 के अंतर्गत क्षमता का प्रस्ताव करने वाले प्रयोक्ताओं में यथानुपात होगी।

प्रशुल्क

4. सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद स्थापित पाइपलाइनों का प्रशुल्क तथा खण्ड-I के उप-खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट श्रेणी में आने वाली पाइपलाइनें सरकार या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों या विनियमों या वर्तमान विद्यमान किसी नियम के अधीन होंगी।

आरओयू अर्जन के अंतर्गत शर्तें

5. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आरओयू अर्जन ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसाकि सरकार द्वारा जनहित में उपयुक्त समझा जाएगा। ऐसी शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होगा:

5.1 वन क्षेत्रों, वन्यजीव/समुद्री अभ्यारणों/उद्यानों, निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्रों आदि के अंतर्गत आने वाले अर्जित आरओयू के भागों को अन्य इच्छुक प्रक्षकारों के साथ बांटना।

5.2 यदि पाइपलाइन का मार्ग/समायोजन किसी अन्य पाइपलाइन के मार्ग/समायोजन को क्रॉस करता है तो क्रासिंग के स्थल पर निर्णय पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से होगा, जिसमें असफल रहने पर मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

विविध

6.1 ये दिशानिर्देश पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड के गठन होने तक प्रवृत्त रहेंगे।

6.2 पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड गठन होने के बाद पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में आरओयू पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि पेट्रोलियम विनियामक कानून के अंतर्गत आवश्यकता पूरी होती हो।

6.3 ये दिशानिर्देश इस विषय पर विद्यमान अन्य किसी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करेंगे।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने के लिए दिशानिर्देश

तेल क्षेत्र में विनियम पर मुख्य निर्णय लेने और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने नवम्बर, 2002 में सामान्य वाहक सिद्धांत पर देश में पाइपलाइने बिछाने के लिए एक नई पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन नीति बनाई थी। पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइने बिछाने के दिशानिर्देशों को 20.11.2002 को अधिसूचित किया गया था। इस संबंध में अनुपूरक दिशानिर्देशों को भी 26.10.2004 को अधिसूचित किया गया है।

*****